



प्रेस नोट



दिनांक 23.08.2019 थाना अछनेरा जनपद आगरा।

थाना अछनेरा पुलिस टीम ने चैकिंग अभियान के दौरान एक शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/चोर/लुटेरों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी अछनेरा को टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.08.2019 को चैकिंग अभियान के दौरान मुखविर की सूचना पर थाना अछनेरा जनपद आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2019 धारा 379/411 भा.द.वि. में अभियुक्त नीरज पुत्र रूपसिंह निवासी सी/ओ राजू दूधिया का घर, गरीब नगर, लंगड़े की चौकी थाना छत्ता जनपद आगरा मूल निवासी नगला हट्टी थाना अछनेरा जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.08.2019 बजरंग धर्मकांटा पर खड़ी गाड़ी से एक मोबाइल फोन वीवो वाई 91 को रात्रि में चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया, तथा चोरी किये गये मोबाइलफोन को रेलवे स्टेशन अछनेरा के पास मोटरसाइकिल स्टैण्ड पर बेचने की फिराक में था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका मकसद भीड़भाड़ वाले स्थानों मोबाइल फोन व पर्स छीनना/चोरी करना एवं नशले पदार्थ की तस्करी करना।

● गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. नीरज पुत्र रूपसिंह निवासी सी/ओ राजू दूधिया का घर, गरीब नगर, लंगड़े की चौकी थाना छत्ता जनपद आगरा मूल निवासी नगला हट्टी थाना अछनेरा जनपद आगरा।

● बरामदगी का विवरण :-

01. एक अदद मोबाइल फोन वीवो वाई-91 चोरी किया हुआ।

● गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
01.	285/2019	धारा 379/411 भा.द.वि.	अछनेरा / आगरा
02.	329/2018	धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट	हरीपर्वत / आगरा
03.	677/2016	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	हरीपर्वत / आगरा

● गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल थाना अछनेरा जनपद आगरा।
02. उ0नि0 मनवीर सिंह थाना अछनेरा जनपद आगरा।
03. कां0 2260 नेपाल सिंह थाना अछनेरा जनपद आगरा।



मीडिया सेल आगरा पुलिस ।